



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10112021-230992
CG-MH-E-10112021-230992

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544]
No. 544]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 नवम्बर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेवी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/55.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. इन विनियमों के जिन प्रावधानों में अन्यथा उल्लेख किया गया है, उन्हें छोड़कर ये विनियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

क. खंड (यख) में, पहला परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“परंतु यह कि:

(क) ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसी किसी एंटीटी को संबद्ध पक्षकार (रिलेटेड पार्टी) माना जाएगा, जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के संप्रवर्तक (प्रमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) का हिस्सा हो; या

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसी किसी एंटीटी को संबद्ध पक्षकार माना जाएगा, जिसके पास, ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी समय, या तो प्रत्यक्ष रूप से या लाभार्थी हित (बेनिफिशियल इंटररेस्ट) के आधार पर (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 में उल्लेख किया गया है), सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी में:

(i) बीस प्रतिशत या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर हों; या

(ii) दस प्रतिशत या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर हों (यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा)।”

ख. खंड (यग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(यग) “संबद्ध पक्षकार संव्यवहार” (रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) का अर्थ है - ऐसा लेनदेन (ट्रांजेक्शन), जिसमें:

(i) एक ओर सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी या उसकी किसी समनुषंगी (सब्सिडियरी) और दूसरी ओर सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी किसी समनुषंगी के संबद्ध पक्षकार के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं (ऑब्लिगेशन्स) का अंतरण (ट्रांसफर) शामिल है; अथवा

(ii) एक ओर सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी या उसकी किसी समनुषंगी (सब्सिडियरी) और दूसरी ओर किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी एंटीटी के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं (ऑब्लिगेशन्स) का अंतरण (ट्रांसफर) शामिल है, जिसका उद्देश्य सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी किसी समनुषंगी के संबद्ध पक्षकार को फायदा पहुँचाना हो (यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा),

फिर भले ही कीमत ली गई हो या न ली गई हो, और संबद्ध पक्षकार के साथ “संव्यवहार” (लेनदेन / ट्रांजेक्शन) का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें किसी कॉण्ट्रैक्ट के तहत एक बार किया जाने वाला लेनदेन (ट्रांजेक्शन) या एक से अधिक बार किए जाने वाले लेनदेन शामिल हैं:

परंतु यह कि निम्नलिखित संबद्ध पक्षकार संव्यवहार (रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) नहीं होगा:

(क) निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को अधिमानी (प्रेफरेंशियल) आधार पर जारी करना, बशर्ते कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के तहत दी हुई अपेक्षाओं का पालन किया जाए;

(ख) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा की जाने वाली निम्नलिखित कंपनी कार्रवाइयाँ, जो सभी शेयरधारकों के संबंध में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू हों:

i. लाभांश (डिविडेंड) का वितरण;

ii. प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का सब-डिवीज़न या समेकन (कन्सॉलिडेशन);

iii. साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) या बोनस निर्गम (इश्यू) के माध्यम से प्रतिभूतियाँ जारी करना; और

iv. प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)।

(ग) बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उन शर्तों आदि पर मीयादी जमाएँ (फिक्स्ड डिपॉज़िट) स्वीकार करना, जो सभी शेयरधारकों / आम जनता के लिए समान रूप से लागू हों / जिनका प्रस्ताव सभी शेयरधारकों / आम जनता को समान रूप से किया जाता हो, बशर्ते कि उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को हर छह महीने में संबद्ध पक्षकार संव्यवहार की जानकारी प्रकट करने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित फॉर्मेट में प्रकट कर दी जाए:

परंतु यह और कि यह परिभाषा म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी की गई उन यूनितों के संबंध में लागू नहीं होगी, जिन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया गया हो;

II. विनियम 23 में,

क. उप-विनियम (1) में, मौजूदा स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि संबद्ध पक्षकार के साथ किए गए लेनदेन (ट्रांजेक्शन) को महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि किया गया लेनदेन (किए गए लेनदेन) की रकम अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर एक हजार करोड़ रुपये या सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध एंटीटी के वार्षिक समेकित व्यापारावर्त (टर्नओवर) के दस प्रतिशत (जो भी कम हो) से अधिक हो जाए।”

ख. उप-विनियम (2) में, शब्द तथा चिह्न “के संबंध में लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।”, शब्दों तथा चिह्नों “और उनमें बाद में किए जाने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के संबंध में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी होगी:” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ग. उप-विनियम (2) में, मौजूदा परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि:

(क) सूचीबद्ध एंटीटी की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) “महत्वपूर्ण बदलावों” को परिभाषित करेगी और उसे संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों की महत्ता संबंधी नीति के और संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही संबंधी नीति के भागस्वरूप प्रकट (डिस्क्लोज़) करेगी;

(ख) जिस संबद्ध पक्षकार संव्यवहार में सूचीबद्ध एंटीटी की समनुषंगी (सब्सिडियरी) पक्षकार हो किंतु सूचीबद्ध एंटीटी पक्षकार न हो, उसके संबंध में सूचीबद्ध एंटीटी की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी होगी यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य या तो अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित व्यापारावर्त (टर्नओवर) के दस प्रतिशत से अधिक हो जाए;

(ग) जिस संबद्ध पक्षकार संव्यवहार में सूचीबद्ध एंटीटी की समनुषंगी पक्षकार हो किंतु सूचीबद्ध एंटीटी पक्षकार न हो, उसके संबंध में सूचीबद्ध एंटीटी की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी होगी यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य या तो अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर उस समनुषंगी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक एकल व्यापारावर्त (टर्नओवर) के दस प्रतिशत से अधिक हो जाए (यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा);

(घ) जिस संबद्ध पक्षकार संव्यवहार में सूचीबद्ध समनुषंगी (लिस्टिड सब्सिडियरी) पक्षकार हो किंतु सूचीबद्ध एंटीटी पक्षकार न हो, उसके संबंध में सूचीबद्ध एंटीटी की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी नहीं होगी, यदि इन विनियमों का विनियम 23 और विनियम 15 का उप-विनियम (2) ऐसी सूचीबद्ध समनुषंगी पर लागू हो।

स्पष्टीकरण: ऊपर क्रम सं. (घ) में यथा उल्लिखित सूचीबद्ध समनुषंगी की असूचीगत समनुषंगियों (अनलिस्टिड सब्सिडियरी) के संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में, सूचीबद्ध समनुषंगी की लेखापरीक्षा समिति की पूर्व मंजूरी पर्याप्त होगी।”

घ. उप-विनियम (4) में, शब्द तथा चिह्न “के संबंध में संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित होगा और कोई भी संबद्ध पक्षकार ऐसे संकल्पों को अनुमोदन दिए जाने के संबंध में मतदान नहीं करेगा, इस बात का विचार किए बिना कि एंटीटी किसी विशिष्ट संव्यवहार में संबद्ध पक्षकार है या नहीं।”, शब्दों तथा चिह्नों “और उप-विनियम (2) के तहत लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित ‘बाद में किए जाने वाले महत्वपूर्ण बदलावों’ के संबंध में संकल्प (रेज़ोल्यूशन) के माध्यम से शेयरधारकों

की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी होगी और कोई भी संबद्ध पक्षकार ऐसे संकल्पों को मंजूरी प्रदान किए जाने के संबंध में मतदान नहीं करेगा, फिर चाहे एंटीटी उस संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) विशेष में पक्षकार हो या न हो:" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ड. उप-विनियम (4) में, मौजूदा परंतुक से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि जिस संबद्ध पक्षकार संव्यवहार में सूचीबद्ध समनुषंगी (लिस्टिड सव्सिडियरी) पक्षकार हो किंतु सूचीबद्ध एंटीटी पक्षकार न हो, उसके संबंध में सूचीबद्ध एंटीटी के शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी नहीं होगी, यदि इन विनियमों का विनियम 23 और विनियम 15 का उप-विनियम (2) ऐसी सूचीबद्ध समनुषंगी पर लागू हो।

स्पष्टीकरण: जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सूचीबद्ध समनुषंगी की असूचीगत समनुषंगियों (अनलिस्टिड सव्सिडियरी) के संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में, सूचीबद्ध समनुषंगी के शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी पर्याप्त होगी।"

च. उप-विनियम (4) में, मौजूदा परंतुक में, शब्दों "परंतु यह" के पश्चात्, शब्द "और" अंतःस्थापित किया जाएगा।

छ. उप-विनियम (5) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) सूचीबद्ध नियंत्री (धारिता / होल्डिंग) कंपनी की ऐसी दो पूर्णतया स्वामित्व वाली समनुषंगियों के बीच हुए लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन), जिसके लेखे (खाते) ऐसी नियंत्री कंपनी के साथ समेकित किए जाते हों और साधारण बैठक में मंजूरी (अनुमोदन) हेतु शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हों।"

ज. उप-विनियम (7) का लोप हो जाएगा।

झ. उप-विनियम (9), निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(9) सूचीबद्ध एंटीटी संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के ब्यौरे (डिस्कलोजर्स) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी, और उन्हें अपने वेबसाइट पर भी डलवाएगी:

परंतु यह कि 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' छमाही के अपने एकल वित्तीय परिणामों (स्टैंडलोन फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स) के साथ ऐसी जानकारी (प्रकटीकरण) प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह और कि सूचीबद्ध एंटीटी हर छह महीने में अपने एकल (स्टैंडअलोन) तथा समेकित (कन्सॉलिडेटेड) वित्तीय परिणामों के प्रकाशित होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ऐसे ब्यौरे प्रकट करेगी:

परंतु यह और कि सूचीबद्ध एंटीटी 1 अप्रैल, 2023 से हर छह महीने में अपने एकल तथा समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशित होने की तारीख को ऐसे ब्यौरे प्रकट करेगी।"

III. अनुसूची-II में,

क. भाग-ग में, पैरा-ख में, मद 2 का लोप हो जाएगा।

IV. अनुसूची-v में,

क. पैरा-क में, शीर्षक में, शब्दों "संबद्ध पक्षकार" के पश्चात्, शब्द "संबंधी" अंतःस्थापित किया जाएगा, और मद 1 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्,-

"1. जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी ने अपनी असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध कराई हों, वह "संबद्ध पक्षकार संबंधी प्रकटीकरण" से संबंधित लेखा मानकों का पालन करते हुए प्रकटीकरण करेगी।"

ख. पैरा-क में, मद 3 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्,-

“3. उपरोक्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) सूचीबद्ध (लिस्टिड) बैंकों पर लागू नहीं होंगे।”

ग. पैरा-ग में, मद 10 में, खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(ड) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी और उसके समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) द्वारा उन फर्मों / कंपनियों को दिए जाने वाले उधारों और उधारों जैसे अग्रिमों के प्रकटीकरण, जिनमें निदेशकों का हित हो (नाम और रकम के अनुसार):

परंतु यह कि यह अपेक्षा सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध एंटीटियों पर लागू होगी।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./409/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
 - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
 - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
 - ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
 - च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
 - छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
 - ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा

- य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/42, द्वारा
- कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/47, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th November, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

SEBI/LAD-NRO/GN/2021/55.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force with effect from April 1, 2022 unless otherwise specified in the respective provision of the regulation.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,-
 - I. in regulation 2, in sub-regulation (1),
 - a. in clause (zb), the first proviso shall be substituted with the following, namely,-

“Provided that:

 - (a) any person or entity forming a part of the promoter or promoter group of the listed entity; or
 - (b) any person or any entity, holding equity shares:
 - (i) of twenty per cent or more; or
 - (ii) of ten per cent or more, with effect from April 1, 2023;

in the listed entity either directly or on a beneficial interest basis as provided under section 89 of the Companies Act, 2013, at any time, during the immediate preceding financial year;

shall be deemed to be a related party:”
 - b. clause (zc), shall be substituted with the following, namely, -

“(zc) “related party transaction” means a transaction involving a transfer of resources, services or obligations between:

 - (i) a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand; or
 - (ii) a listed entity or any of its subsidiaries on one hand, and any other person or entity on the other hand, the purpose and effect of which is to benefit a related party of the listed entity or any of its subsidiaries, with effect from April 1, 2023;

regardless of whether a price is charged and a “transaction” with a related party shall be construed to include a single transaction or a group of transactions in a contract:

Provided that the following shall not be a related party transaction:

(a) the issue of specified securities on a preferential basis, subject to compliance of the requirements under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(b) the following corporate actions by the listed entity which are uniformly applicable/offered to all shareholders in proportion to their shareholding:

- i. payment of dividend;
- ii. subdivision or consolidation of securities;
- iii. issuance of securities by way of a rights issue or a bonus issue; and
- iv. buy-back of securities.

(c) acceptance of fixed deposits by banks/Non-Banking Finance Companies at the terms uniformly applicable/offered to all shareholders/public, subject to disclosure of the same along with the disclosure of related party transactions every six months to the stock exchange(s), in the format as specified by the Board:

Provided further that this definition shall not be applicable for the units issued by mutual funds which are listed on a recognised stock exchange(s);

II. in regulation 23,

- a. in sub-regulation (1), the existing Explanation shall be substituted with the following, namely, -

“Provided that a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds rupees one thousand crore or ten per cent of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.”

- b. in sub-regulation (2), after the words “party transactions” the words “and subsequent material modifications” shall be inserted and the words and symbol “audit committee.” shall be substituted with the words and symbol “audit committee of the listed entity:”.

- c. in sub-regulation (2), after the existing proviso, the following shall be inserted, namely, -

“Provided further that:

(a) the audit committee of a listed entity shall define “material modifications” and disclose it as part of the policy on materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions;

(b) a related party transaction to which the subsidiary of a listed entity is a party but the listed entity is not a party, shall require prior approval of the audit committee of the listed entity if the value of such transaction whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ten per cent of the annual consolidated turnover, as per the last audited financial statements of the listed entity;

(c) with effect from April 1, 2023, a related party transaction to which the subsidiary of a listed entity is a party but the listed entity is not a party, shall require prior approval of the audit committee of the listed entity if the value of such transaction whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ten per cent of the annual standalone turnover, as per the last audited financial statements of the subsidiary;

(d) prior approval of the audit committee of the listed entity shall not be required for a related party transaction to which the listed subsidiary is a party but the listed entity is not a party, if regulation 23 and sub-regulation (2) of regulation 15 of these regulations are applicable to such listed subsidiary.

Explanation: For related party transactions of unlisted subsidiaries of a listed subsidiary as referred to in (d) above, the prior approval of the audit committee of the listed subsidiary shall suffice.”

- d. in sub-regulation (4), after the words “related party transactions” the words and symbol “and subsequent material modifications as defined by the audit committee under sub-regulation (2),” shall be inserted and after the words “shall require” the word “prior” shall be inserted.

- e. in sub-regulation (4), before the existing proviso, the following shall be inserted, namely, -

“Provided that prior approval of the shareholders of a listed entity shall not be required for a related party transaction to which the listed subsidiary is a party but the listed entity is not a party,

if regulation 23 and sub-regulation (2) of regulation 15 of these regulations are applicable to such listed subsidiary.

Explanation: For related party transactions of unlisted subsidiaries of a listed subsidiary as referred above, the prior approval of the shareholders of the listed subsidiary shall suffice.”

- f. in sub-regulation (4), in the existing proviso, the word “further” shall be inserted after the word “Provided”.
- g. in sub-regulation (5), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely, -
“(c) transactions entered into between two wholly-owned subsidiaries of the listed holding company, whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval.”
- h. sub-regulation (7) shall be omitted.
- i. sub-regulation (9) shall be substituted with the following, namely, -

“(9) The listed entity shall submit to the stock exchanges disclosures of related party transactions in the format as specified by the Board from time to time, and publish the same on its website:

Provided that a ‘high value debt listed entity’ shall submit such disclosures along with its standalone financial results for the half year:

Provided further that the listed entity shall make such disclosures every six months within fifteen days from the date of publication of its standalone and consolidated financial results:

Provided further that the listed entity shall make such disclosures every six months on the date of publication of its standalone and consolidated financial results with effect from April 1, 2023.”

III. In Schedule II,

- a. in Part C, in para B, point 2 shall be omitted.

IV. in Schedule V,

- a. in para A, in point 1, after the words “listed entity” the words and symbol, “which has listed its non-convertible securities” shall be inserted.
- b. in para A, point 3, shall be substituted with the following, namely, -
“3. The above disclosures shall not be applicable to listed banks.”
- c. in para C, in point 10, after clause (l), the following new clause shall be inserted, namely, -

“(m) disclosure by listed entity and its subsidiaries of ‘Loans and advances in the nature of loans to firms/companies in which directors are interested by name and amount’:

Provided that this requirement shall be applicable to all listed entities except for listed banks.”

AJAY TYAGI ,Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./409/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
 - c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.

- d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/025.
- e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
- f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
- g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
- h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
- i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
- j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
- k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
- l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.
- m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.
- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.
- u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.
- v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.
- w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.
- x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.
- z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/42.
- aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/47.